

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा: एक सूक्ष्म विश्लेषण

डॉ. विरेन्द्र कुमार<sup>1</sup> & डॉ. विजय कुमार यादव<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक- 484887), मध्य प्रदेश, भारत.

Email- [airvirendra@gmail.com](mailto:airvirendra@gmail.com)

<sup>2\*</sup>पूर्व शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा- 442001, महाराष्ट्र, भारत.

Email- [vijay123bhu@gmail.com](mailto:vijay123bhu@gmail.com)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15620011>

Received on: 17/05/2025 I Accepted on: 28/05/2025 I Published on: 10/06/2025

### सारांश:

किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उस देश की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस शिक्षा व्यवस्था की सफलता हेतु इसके प्रमुख अभिकर्ता के रूप में कार्यरत अध्यापकों के योगदान से हम सभी भली-भांति परिचित हैं। अतः योग्य एवं विकासशील अध्यापकों के निर्माण हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में अध्यापक शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है। किन्तु, यह हमारे देश की निरंतर परिवर्तनशील सामाजिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना सफल हो पाया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए हमारे देश के अध्यापक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया है जिसमें अध्यापक शिक्षा के भावी विकास की सार्थक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत लेख अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इस लेख में भारतीय परिदृश्य में अध्यापक शिक्षा के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं व बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए इक्कीसवीं सदी की जरूरतों, समस्याओं व सुझावों पर विशेष बल डाला गया है।

**बीजक शब्द:** अध्यापक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समस्याएं, सुझाव ।

### प्रस्तावना:

परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो प्रत्येक काल और समाज में निरंतर चलती रहती है। मानव समाज की आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भी समय और परिस्थिति के साथ-साथ निरंतर बदलती रहती हैं। इन परिवर्तनों में शिक्षा एक ओर कारक की भूमिका में दृष्टिगत होता है, तो दूसरी ओर स्वयं शिक्षा और शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप बदलती रहती है (यादव एवं मिश्र, 2021)। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले

परिवर्तन की इस संपूर्ण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ अध्यापक को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जा सकता है जो न केवल इन शैक्षिक परिवर्तनों के साथ मूल्यपरक शिक्षा को प्रदान करने का कार्य करता है बल्कि निरंतर सामाजिक मूल्यों, मानकों और विश्वासों को परिवर्तित और परिमार्जित कर शिक्षा प्रक्रिया में शामिल भी करता है जो सतत रूप से एक सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। भारतीय सभ्यता और समाज का विकास भी इसी प्रकार के परिवर्तनों का परिणाम है (कुमार, 2018)। समय के साथ-साथ भारत की जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है, सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक बदलाव हुए हैं, लोगों की आवश्यकताएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं बदली हैं (कुमार 2014; फर्सवान 2017)। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा जगत में योग्य एवं प्रगतिशील अध्यापकों की मांग भी लगातार बढ़ी है (सिंह, 2022)। भारत में इस प्रकार के अध्यापकों के विकास हेतु स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक प्रयास किए गए जिसके अंतर्गत विभिन्न आयोगों का गठन, उनके सुझावों के आधार पर शिक्षा नीतियों का निर्माण एवं शिक्षा नीतियों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की स्थापना, उनमें सुधार एवं विस्तार, उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में बदलाव आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रयास शामिल हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत स्वतंत्रता पश्चात् गठित आयोगों और शिक्षा नीतियों में शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा में कोठारी आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और कार्य योजना (1992) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE, 2009) प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय अध्यापक शिक्षा प्रणाली में समयानुकूल व्यापक सुधार लाना था। यह रूपरेखा अध्यापक शिक्षा के सिद्धांतों, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं को पुनः परिभाषित करती है, ताकि अध्यापक न केवल ज्ञान के प्रदाता बनें, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक बनें। इस हेतु NCFTE (2009) के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की संरचना में सुधार (जैसे- चार वर्षीय एकीकृत मॉडल जो +2 के बाद प्रारंभ हो एवं दो वर्षीय मॉडल जो स्नातक स्तर के बाद प्रारंभ हो) की सिफारिश की गई। इसके अलावा इसमें पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार, अध्यापकों के लिए निरंतर पेशेवर विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बेहतर प्रशिक्षण, नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश सुनिश्चित करना जैसे अनेक महत्वपूर्ण

सुझाव प्रस्तुत किए गए (शर्मा 2015)। तदोपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं महत्वपूर्ण बदलावों की परिकल्पना करती है।

### **भारत में अध्यापक शिक्षा का विकास:**

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक-शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अध्यापक ही विद्यार्थियों के समुचित विकास के पथप्रदर्शक रहे हैं। यद्यपि, जैसे-जैसे सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक ताना-बाना में विस्तार और परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा की आवश्यकताएँ और दृष्टिकोण भी बदले हैं जिससे अध्यापक शिक्षा की पद्धतियों और उद्देश्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के लिए, प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक को शिष्य का मानस पिता मना गया था। अतः नैतिक दृष्टि से शिष्य के समस्त दोषों का उत्तरदायित्व उस पर था। इसलिए शिष्य के चरित्र का सर्वदा ध्यान रखना उसका कर्तव्य था। प्राचीन काल में अध्यापकों (आचार्यों) के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, उनका ज्ञान, आचरण और अनुभव ही अध्यापक बनने के लिए पर्याप्त था। प्राचीन काल में अध्यापक-प्रशिक्षण की कोई औपचारिक संस्था नहीं थी। इसकी औपचारिक रूप-रेखा का आरम्भ बौद्ध काल में होता है। बौद्ध संघों में वरिष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य अध्ययन-अध्यापन के कार्यों में आचार्यों की सहायता किया करते थे। इस व्यवस्था को मोनोटोरियल व्यवस्था कहा गया। मुस्लिम काल में भी अध्यापक शिक्षा के विशेष प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। औपनिवेशिक काल में 'सेरामपुर' नामक स्थान पर प्रथम औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई जिसे 'नॉर्मल स्कूल' के रूप में जाना गया। आगे चलकर विभिन्न मिशनरियों और व्यक्तिगत प्रयासों से भारत वर्ष में अनेक स्थानों पर नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की गई। ब्रिटिश नीतियों में 19वीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु स्पष्ट प्रयास किए गए और अध्यापन को आजीविका का सशक्त साधन बनाने हेतु अध्यापकों को एक सामान्य भत्ता देने हेतु सरकार से सिफारिश की गई। 1854 के वुड घोषणापत्र के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण के ठोस और सार्थक प्रयत्न प्रारंभ हुए। इस घोषणापत्र में अध्यापक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार हेतु अध्यापक-शिक्षा संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ देने का भी सुझाव प्रस्तुत किया गया था। हंटर कमीशन (1882) में भी अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के साथ-साथ नैतिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। परिणामस्वरूप संपूर्ण भारत के ब्रिटिश

शासित क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं में वृद्धि हुई और अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु आधारशिला राखी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) और सन 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई जिन्होंने अध्यापक शिक्षा के सन्दर्भ में अपने सुझाव दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक को समाज की स्थिति का मानदंड मानते हुए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समाज में अध्यापक की स्थिति समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की परिचायक है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अध्यापक से अधिक विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अध्यापक शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए तथा ज्ञानी, कुशल, दक्ष, संवेदनशील एवं चरित्रवान अध्यापकों का विकास किया जाए। सीखना एवं सिखाना यद्यपि एक-दूसरे के निकट है, किंतु दोनों में प्रक्रियागत भेद है, जहाँ सीखने की प्रक्रिया भूल-सुधार एवं सतत अभ्यास के सिद्धांत का अनुगम करती है, वहीं सिखाने की प्रक्रिया में भूल एवं सुधार के सिद्धांत को लागू करना एक गंभीर परिणाम को जन्म दे सकता है। इसलिए इसमें गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की आवश्यकता है। है नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन (2009) ने स्पष्ट किया है कि शिक्षार्थी की शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर अध्यापक की दक्षता, संवेदनशीलता और प्रेरणा से निर्धारित होता है। साथ ही यह सर्वमान्य धारणा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक की पढ़ाए जाने वाले विषय की समझ एवं व्यावसायिक क्षमता सीखने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) ने भी योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूल आधारित अनुभव को अनिवार्य करने, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश मानकों में सुधार करने, चर वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को प्राथमिकता देने, NCTE की पुनर्संरचना जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है। इसमें इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में व्यापक स्तर पर सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इस सुझावों को जमीनी स्तर पर कार्य रूप में परिणति करने हेतु अध्यापकों को सबसे सशक्त माध्यम मानते हुए अध्यापक शिक्षा में भी व्यापक एवं महत्वपूर्ण बदलाव की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यापक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण:**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों वृहद् संकल्पना की गई है, जो ज्ञान, आचरण, निष्ठा और समाज के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील की छवि प्रस्तुत करती है। कोठारी आयोग में अध्यापक को परिकल्पित करते हुए कहा गया है कि- 'अध्यापक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि- अगली पीढ़ी को आकार देने वाले अध्यापकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अध्यापकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ दक्ष लोगो के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण तथा उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित नूतन प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान और परंपराओं के प्रति संवेदनशील रहें। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान अध्यापक शिक्षा से ये अपेक्षा की जाती है कि वो विभिन्न दक्षताओं से पूर्ण अध्यापकों को विकसित करें-

1. अध्यापक को बहुविषयक ज्ञान होना चाहिए ताकि वह समग्र शिक्षण की अवधारणा को जीवंत रूप दे सके।
2. अध्यापक, जिज्ञासु रहें जिससे वह सतत स्वयं को विकसित कर सके।
3. वह अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में नवाचारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए।
4. उसमें अध्यापन की प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए।
5. वह विभिन्न भाषाओं की यथासंभव जानकारी रखता हो ताकि त्रिभाषा नीति को मूर्त रूप दे सके।
6. उसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ज्ञान के साथ-साथ इन्हें उपयोग करने की दक्षता भी होनी चाहिए।

### **इक्कीसवीं सदी में अध्यापक शिक्षा की समस्याएं :**

किसी भी योजना की सफलता इसके कुशल व्यावहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा के स्वरूप में वृहत परिवर्तन की तैयारी की गई है। अब तक अध्यापक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न समस्याएं परिलक्षित हुई हैं जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं-

#### **1. अध्यापक शिक्षा में निरंतर संरचनात्मक बदलाव से उत्पन्न समस्या:**

पिछले 10 वर्षों में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को परिवर्तित कर दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम बना दिया गया। यह परिवर्तन सही ढंग से क्रियान्वित भी नहीं हुआ था कि

सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फिर से आनन-फानन में नए पाठ्यक्रमों की रचना की गई। अभी इस योजना पर अमल हो ही रहा था कि इस नीति के माध्यम से चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा की बात लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में इन लगातार बदलावों का पूरी अध्यापक शिक्षा पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। यदि अध्यापक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए परिवर्तन स्थायी होने चाहिए और कम से कम 10 साल तक चलते रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इस परिवर्तन का भी अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास योगदान नहीं होगा।

## 2. बहुविषयक संस्थानों की स्थापना एवं एकल पाठ्यक्रम आधारित संस्थानों में अपग्रेडेशन की समस्या:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चार वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम पर बल देती है, लेकिन इसके साथ ही दो वर्षीय कार्यक्रम को भी संचालित करने की पहल की गई है। ये सभी कार्यक्रम अब केवल बहु-विषयक कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में चलाए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एकल पाठ्यक्रम आधारित कॉलेजों की संख्या बहुत अधिक है, इसमें भी निजी संस्थानों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में बहु-विषयक संस्थानों की आवश्यकता होगी। ऐसे में नवीन संस्थानों की स्थापना एवं अपग्रेडेशन का कार्य कैसे होगा? आवश्यक पूंजी कहां से आएगी जैसे यक्ष प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।

## 3. पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्या:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की शिक्षा संरचना को  $5 + 3 + 3 + 4$  (3 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए) में बदल दिया गया है। जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मानव व्यक्तित्व में तीव्र और बहुआयामी परिवर्तन होता है, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस समयावधि को ही सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है। विद्यार्थियों के वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन, उनकी अभिक्षमता, एवं उनके हितों के साथ-साथ समाज की ज़रूरतों और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विषय विशेषज्ञों से सर्वोत्तम पाठ्यक्रम का निर्माण अति आवश्यक है।

## 4. अप्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों से गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण संबंधी चुनौती:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उन विषय-विशेषज्ञों को भी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जिन्होंने अध्यापक-प्राध्यापकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जबकि अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषीकृत कार्यक्रम है, जिसमें बाल-व्यवहार एवं मनोविज्ञान, अध्ययन-अध्यापन की तकनीक एवं शिक्षणशास्त्र, आकलन अथवा मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन जैसे अनेक विषयों से संबंधित विशेषज्ञीय सेवा की आवश्यकता होती है। शिक्षाशास्त्र मात्र विषयों को ही पढ़ाने का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि ये अप्रशिक्षित एवं मात्र अपने विषय (गणित, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, कला इत्यादि) में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भावी अध्यापकों को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं।

### 5. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने संबंधी समस्या:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी-अध्यापक बनने के प्रति आकर्षित हों। वास्तव में, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को किसी भी व्यवसाय में आकर्षित करने के लिए उस क्षेत्र में शामिल होने के समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ-साथ आगे बढ़ने के अवसर की अनुकूलता आवश्यक होती है। वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी व्यक्ति को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में मिलने वाले वेतन मान को छोड़कर अध्यापक बनने के लिए प्रेरित करता हो। सरकारी विद्यालयों में अध्यापन के साथ-साथ अन्य गैर शैक्षिक कार्य समाज में अध्यापकों की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान तो पहुँचाता ही है, इसके साथ ही साथ उसके विद्यालयी शिक्षण कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है (यादव एवं मिश्र, 2021)। अध्यापकों का शैक्षणिक कार्यों से इतर कार्य करने के कारण सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है (यादव एवं मिश्र, 2023)। वहीं निजी संस्थाओं में अध्यापकों का वेतनमान इतना कम है कि इस तरह कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी मात्र मजबूरी में ही अध्यापक बनने की सोच सकता है।

### अध्यापक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विभिन्न सुझाव दिए गए हैं जिनके अनुपालन से न केवल अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि विद्यालयी शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार



किया जा सकता है। अध्यापक शिक्षा संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते हैं जैसे- 1. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम केवल बहु-विषयक शैक्षिक संस्थानों में ही संचालित किए जाएं। 2. अग्रिम 10 वर्षों तक अध्यापक शिक्षा में कोई आमूल-चूल परिवर्तन न किए जाय। 3. एकल विषय आधारित शैक्षणिक संस्थानों का अगले कुछ वर्षों में सतत तरीके से बहु-विषयक संस्थानों के रूप में उन्नयन करना। 5. चार वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी), दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और एक वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को स्वीकृति तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को ध्यान में रखा जाय। 6. जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनके लिए दो वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एवं जिनके पास विशिष्ट विषय के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री है, उनके लिए एक वर्षीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है। 7. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थी वृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। 8. अध्यापकों के रूप में काम करने वाले सभी अध्यापकों को अपने व्यावसायिक विकास को जारी रखने के लिए रिफ्रेशर कोर्स व सुविधाएं दी जानी चाहिए। 9. स्वयं और दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी आधारित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को अध्यापकों के व्यावसायिक विकास से जोड़ना चाहिए। 10. अध्यापकों के ऊपर शिक्षण के अलावा अतिरिक्त बोझ से बचना चाहिए। इससे समाज में अध्यापकों को स्वाभिमान प्राप्त होगा और वे अध्यापक वृत्ति को चुनने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे।

### निष्कर्ष:

शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें अध्यापक की महती भूमिका होती है। अतः किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का समन्वयक और प्रशासक अध्यापक ही होता है। फलतः अध्यापक शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यापक शिक्षा को गुणात्मक व प्रभावी बनाने के लिए इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, जिसने अध्यापक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। अध्यापक शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए जो सिफारिशें और अपेक्षाएँ की गई हैं, उन्हें प्राप्त करने में कई समस्याएं आयेंगी, जिनका उल्लेख किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण व सफल बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे हम उसके निहित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।



### संदर्भ सूची:

1. भट्टाचार्य, जी. सी. (2014). अध्यापक शिक्षा. विनोद पुस्तक मंदिर.
2. गुरुपंच, के. एस. (2022). नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- चुनौतियाँ एवं समाधान. *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*. 2022;10(4):199. <https://ijrrsonline.in>
3. जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट (2012). शिक्षा मंत्रालय. भारत सरकार.
4. कुमार, वी. (2018). ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं भारतीय स्वतंत्रता में इसकी भूमिका. *अजंता एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल*. अजंता प्रकाशन.
5. कुमार, के. (2014). रूरलिटी, मॉडर्निटी एंड एजुकेशन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 49(22), 38-43.
6. कुमार, एस. (2018). बदलता गाँव बदलता देहात: नई सामाजिकता का उदय. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. नेशनल पालिसी आन एजुकेशन (1986). मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/upload\\_document/npe.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf)
8. नेशनल एजुकेशन पालिसी (2020). भारत सरकार. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. <https://www.education.gov.in>
9. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन .(2009). टूवर्ड्स प्रिपेयारिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर. एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली. [https://ncte.gov.in/Website/PDF/NCFTE\\_2009.pdf](https://ncte.gov.in/Website/PDF/NCFTE_2009.pdf)
10. परिहार, पी. (2020). नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभावनाएं एवं चुनौतियाँ. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*. ISSN:2394-5869. <https://www.allresearchjournal.com/archives/2020/vol6issue9/PartB/6-9-7-410.pdf>
11. फर्सवान, डी. एस. (2017). इन्नोवेटिव प्रैक्टिस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट रिसर्च*, 9(4), 49593-49596.

12. प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992). भारत सरकार. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट.  
[https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/document-reports/POA\\_1992.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/POA_1992.pdf)
13. रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन (1964-66). भारत सरकार. एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट.  
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. [https://cprindia.org/edu\\_repository/kothari-commission-report-education-and-national-development-report-of-the-education-commission-1964-66/](https://cprindia.org/edu_repository/kothari-commission-report-education-and-national-development-report-of-the-education-commission-1964-66/)
14. सिंह, बी. एवं देवी, के. (2022). उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिक रिव्यू*. <https://www.ijrar.org/papers/IJRAR1CIP004.pdf>
15. शर्मा, आर. एवं शर्मा, वी. पी. (2015). *अध्यापक प्रशिक्षण तकनीक*. अर्जुन पब्लिशिंग हाउस.
16. शर्मा, बी. एल. (2014). *अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति*: इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स. 2 (8), 1- 4. <https://ijcrt.org/papers/IJPUB1304059.pdf>
17. यादव, वी. के. एवं मिश्र, आर. के. (2021). शिक्षा और गाँव का बदलता परिदृश्य. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, 3(1), 132-139.
18. यादव, वी. के. एवं मिश्र, आर. के. (2023). ग्रामीण सरकारी विद्यालयों का वृत्तिक संदर्भ. *अधिगम*, 32(3), 115-131.

**How to cite this paper:**

कुमार, वि. & यादव, वि. के. (2025). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा: एक सूक्ष्म विश्लेषण. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ग्लोबल मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एनालिटिक्स*, 01(1), 44-53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15620011>

Copyright: © the author(s). Published by the Arya Publication Services. This is an open-access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).